

भीलवाड़ा फोकस

RNI No. : RJHIN/25/A0890

वर्ष - 01 | अंक - 346 | बिजौलिया - बुधवार, 01 जुलाई 2026 | मूल्य - 1 रुपया | मो.- 86967 95959 | पृष्ठ - 4 | WWW.BHILWARAFOCUS.COM

बिना GPS के खनिज परिवहन पर रोक, प्रदेशभर में नई डिजिटल व्यवस्था लागू

30 जून से लागू हुए नियम, अब वाहनों की लाइव ट्रैकिंग और धर्मकांटों का डेटा सीधे विभागीय पोर्टल पर

भीलवाड़ा फोकस @ जयपुर।

राजस्थान में खनिज परिवहन व्यवस्था 30 जून से पूरी तरह डिजिटल निगरानी के दायरे में आ गई है। खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने अवैध खनन, अवैध परिवहन और राजस्व चोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब बिना जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम वाले वाहन खनिज का परिवहन नहीं कर सकेंगे, वहीं परिवहन में लगे वाहनों की लाइव लोकेशन पर विभाग की सीधी निगरानी रहेगी।

नई व्यवस्था के तहत खनिज परिवहन करने वाले सभी वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) और आरएफआईडी (RFID) टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इन उपकरणों के बिना किसी भी वाहन को ई-रवना जारी नहीं किया जाएगा, जिससे वह खनिज का परिवहन नहीं कर सकेगा। ई-रवना सरकार द्वारा



जारी किया जाने वाला ऑनलाइन परिवहन अनुमति पत्र है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी धर्मकांटों (वे-ब्रिज) को ऑटोमेशन प्रणाली से जोड़कर विभागीय पोर्टल पर लाइव किया जा रहा है। अब वाहनों का वजन सीधे ऑनलाइन दर्ज होगा, जिससे वजन में हेराफेरी, फर्जी बिलिंग और अन्य अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि तय समय तक ऑटोमेशन पूरा नहीं

करने वाले धर्मकांटों को पोर्टल से हटा दिया जाएगा और वहां से जारी रवना मान्य नहीं रहेगा। खान विभाग ने सभी माइनिंग लीज धारकों, परिवहनकर्ताओं और धर्मकांटा संचालकों को नए नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेशभर में चरणबद्ध शिफारों के माध्यम से वाहनों में जीपीएस और आरएफआईडी उपकरण लगाने का कार्य कराया गया है। जिन वाहनों में

पहले से जीपीएस लगा हुआ है, उन्हें भी विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत कर सक्रिय करना अनिवार्य किया गया है। विभाग के अनुसार नई डिजिटल व्यवस्था से खनिज परिवहन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। वाहनों की रियल टाइम निगरानी होने से अवैध खनन, अवैध परिवहन, ओवरलोडिंग और रॉयल्टी चोरी पर प्रभावी रोक लगेगी, जबकि सरकार को मिलने वाले राजस्व की निगरानी भी पहले से अधिक मजबूत होगी।

गौरतलब है कि इस व्यवस्था को लागू करने की समय-सीमा पहले कई बार बढ़ाई गई थी। खनन पट्टा धारकों और परिवहन व्यवसायियों के आग्रह पर विभाग ने अतिरिक्त समय दिया था, लेकिन 30 जून 2026 से यह व्यवस्था प्रदेशभर में प्रभावी रूप से लागू कर दी गई है। अब बिना जीपीएस और निर्धारित डिजिटल प्रणाली से जुड़े वाहनों को खनिज परिवहन की अनुमति नहीं दी जा रही है।

कोतवाली थाने का कांस्टेबल 6 हजार की रिश्त लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

एसीबी की लगातार दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई, फाइल में जल्द कार्रवाई के नाम पर मांगी थी रिश्त

भीलवाड़ा फोकस @ भीलवाड़ा

(पुनित चपलोट)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाने में तैनात कांस्टेबल रज्जाक मोहम्मद को 6 हजार रुपये की रिश्त लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी पर एक पुराने प्रकरण में जल्द कार्रवाई करने तथा परिवादी को पेशान नहीं करने की एवज में रिश्त मांगने का आरोप है। एसीबी के अनुसार परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसके खिलाफ कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर की जांच चल रही है। मामले की जांच एएसआई मदनलाल जांगिड के पास थी, जबकि प्रकरण की फाइल संबंधी कार्य कांस्टेबल रज्जाक मोहम्मद देख रहा था। आरोप है कि कांस्टेबल ने फाइल में शीघ्र कार्रवाई करने के नाम पर पहले 20 हजार रुपये की मांग की, बाद में 15 हजार रुपये में सौदा तय हुआ। आरोपी पहले ही 5 हजार रुपये ले चुका था तथा शेष राशि के लिए लगातार दबाव बना रहा था। एसीबी ने 29 जून को शिकायत का सत्यापन कराया, जिसमें 15 हजार



रुपये की रिश्त मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद मंगलवार को एसीबी अजमेर रेंज के उप महानिरीक्षक नारायण टोगस के सुपरविजन तथा भीलवाड़ा प्रथम इकाई के उप अधीक्षक पारसमल के नेतृत्व में ट्रेप कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान आरोपी ने परिवादी से 6 हजार रुपये लेकर अपनी मोटरसाइकिल की टंकी पर लगे कपड़े के छोटे बैग में रखवाए। इसी दौरान एसीबी टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर रिश्त की राशि बरामद कर ली। एसीबी ने आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले की अग्रिम जांच जारी है।

उम्मेद सागर गोलीकांड: तीन आरोपी दो दिन के पुलिस रिमांड पर

सरकारी डाक बंगले में शराब पार्टी पर उठे सवाल, प्रतिष्ठित परिवारों से जुड़े युवकों की भूमिका भी जांच के दायरे में

भीलवाड़ा फोकस @ शाहपुरा

(मूलचंद पेसवानी)। उम्मेद सागर बांध स्थित जल संसाधन विभाग के डाकबंगले में रविवार को दोस्तों की पार्टी के दौरान हुई फायरिंग के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने आरोपियों को पूछताछ एवं बरामदगी के लिए दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस अब मामले की तह तक पहुंचने के लिए विभिन्न पहलुओं की गहन जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार, रविवार दोपहर करीब आधा दर्जन युवक उम्मेद सागर बांध क्षेत्र स्थित डाकबंगले में पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान आपसी कहासुनी विवाद में बदल गई और तोपीदार बंदूक से फायर हो गया। फायरिंग में गाडरी



खेड़ा निवासी महेंद्र कहार गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली के तीन छर्रे उसके पैर में लगे, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। उसे पहले शाहपुरा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया। उसका उपचार जारी है। घटना के बाद शाहपुरा थाना पुलिस ने पुलिस उपाधीक्षक ओमप्रकाश विष्णोई

के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब पांच घंटे के भीतर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में विनोद नायक (सेवनी), सूरज हरिजन (उदयभान गेट) और किशन बागरिया (गांछ बस्ती) शामिल हैं। तीनों को शाहपुरा एसीजेएम न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा

गया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी विनोद नायक ने तोपीदार बंदूक से फायर किया था। घटना के समय घायल महेंद्र के साथ किशन गुर्जर और टिल्लू गुर्जर भी मौजूद थे।

जांच के दौरान सरकारी डाकबंगले में आयोजित पार्टी को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार, पार्टी में शाहपुरा के कुछ प्रतिष्ठित परिवारों से जुड़े युवक भी शामिल थे। पुलिस उनकी भूमिका की भी पड़ताल कर रही है।

इसके अलावा डाकबंगले में तैनात कार्मिक की भूमिका भी जांच के घेरे में है। पुलिस यह पता लगा रही है कि घटना के समय कर्मचारी मौके पर मौजूद था या नहीं तथा उसे पार्टी आयोजित होने की जानकारी थी या नहीं।

अवैध मिट्टी माफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा, तहसीलदार की दबिश में तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त

दिन-रात चल रहे अवैध खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप।

भीलवाड़ा फोकस @ कोटड़ी ग्रामीण

दिनेश पारीक। थाना क्षेत्र के लखमनियास गांव में अवैध मिट्टी दोहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को जब्त किया है। तहसीलदार श्री लाल मीणा के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर दबिश देकर अवैध रूप से मिट्टी का परिवहन करते तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को पकड़ लिया। कार्रवाई के बाद अवैध खनन से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया।

तहसीलदार श्रीलाल मीणा ने बताया कि लखमनियास गांव में बिना वैध अनुमति के मिट्टी का अवैध खनन एवं परिवहन किए जाने की सूचना पर टीम



ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। जांच के दौरान तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियां अवैध रूप से मिट्टी का परिवहन करती मिलीं, जिन्हें जब्त कर कोटड़ी थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। उन्होंने बताया कि तीनों वाहनों के

विरुद्ध एमएमडीआर के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि इन दिनों कोटड़ी थाना क्षेत्र में अवैध बजरी और मिट्टी का दोहन दिन-रात जारी रहने की शिकायतें

लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में प्रशासन की इस कार्रवाई को अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त संदेश माना जा रहा है। स्थानीय लोगों ने भी अवैध खनन पर लगातार प्रभावी कार्रवाई की मांग की है।



भीलवाड़ा फोकस @ जयपुर।

विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के तहत 1 जुलाई से वीबी-जी रामजी कार्यों के समय में बदलाव किया जाएगा। नई व्यवस्था के अनुसार अब श्रमिकों का कार्य समय प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक रहेगा, जबकि दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक विश्राम का समय निर्धारित किया गया है। जयपुर जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने बताया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 के

प्रावधानों के तहत यह व्यवस्था लागू की जा रही है।

उन्होंने बताया कि यदि किसी श्रमिक समूह द्वारा निर्धारित समय से पहले आवंटित टास्क पूरा कर लिया जाता है, तो मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में टास्क प्रपत्र में इसकी प्रविष्टि कर समूह के मुखिया के हस्ताक्षर करवाने के बाद श्रमिक कार्यस्थल छोड़ सकेगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने स्पष्ट किया कि संबंधित मेट निर्धारित समय तक कार्यस्थल पर मौजूद रहेगा। साथ ही नई व्यवस्था में श्रमिकों के लिए निर्धारित कार्य (टास्क) में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है।

'भीलवाड़ा फोकस'

अपने शहर और गाँव के समाचार, सूचनाएँ, सार्वजनिक घोषणाएँ या विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए संपर्क करें।
Mo. - 8696795959
Bhilwarafocus@gmail.com



भीलवाड़ा की बात, फोकस के साथ

